न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 02, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी — लोकेन्द्र सिंह शेखावत
आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या — 22/2022
सीआईएस संख्या — 122/2022

सुनील जाजड़ा पुत्र अखेचंद, निवासी तोलियासर भैरूजी मंदिर के पास, चौपड़ा बाड़ी, गंगाशहर, बीकानेर।

--वादी

बनाम

पवन कुमार शर्मा पुत्र रामलाल, निवासी वार्ड नं.7 बीठनोक, तहसील श्रीकोलायत, जिला बीकानेर।

--प्रतिवादी

वाद बाबत वसूली 6,87,900/-रूपये अंतर्गत आदेश 37 नियम 1 सी पी सी

उपस्थितः

1. श्री विनायक चितलंगी, विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 24.10.2024**

1. मूल रूप से वादी की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, बीकानेर के समक्ष दिनांक 06.05.2022 को संस्थित किया गया था, जो सुनवाई व निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 20.05.2022 को प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में वादी के वाद-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी और प्रतिवादी दोनों की अच्छी जान-पहचान है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय लेन-देन कर रहे हैं। प्रतिवादी ट्रकों के संचालन का कार्य करता है और इस संचालन में प्रतिवादी को ट्रकों के उपकरण, टायर, ट्यूब आदि को बदलवाने या उनके रख रखाव के लिए पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। इस जरूरत के कारण प्रतिवादी ने वादी से 3,40,000/- रूपये उधार मांगे और वादी ने उधार देना स्वीकार किया। वादी ने दिनांक 19.11.2019 को प्रतिवादी को 3,40,000/- रूपये नगद दिए। जिसकी सहमति प्रतिवादी और वादी के बीच निष्पादित इकरारनामें में प्रतिवादी द्वारा दी गयी। वादी एवं प्रतिवादी के बीच यह निर्णित हुआ था कि प्रतिवादी द्वारा उधार ली गयी राशि की अदायगी प्रतिवादी के द्वारा 50,000/- रूपये के हिसाब से नकदी अदा करेगा और आखिरी किश्त 40,000/- रूपये अदा करेगा। उक्त इकरारनामे को निष्पादित करते हुए प्रतिवदी ने अपने बैंक खाता संख्या 688600010002395 बैंक पंजाब नेशनल बैंक, श्रीकोलायत शाखा का चैक नं. 687714 का वादी को दिया था जो कि वादी के द्वारा उक्त राशि उधार वापस प्रतिवादी से हासिल न करने की

24.10.2024
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2
बीकानेर (राजस्थान)

सूरत में वो चैक को भुना सकेगा। इकरारनामे को निष्पादित करते हुए बतौर गवाह श्री रामदेव एवं कैलाश शर्मा ने हस्ताक्षर किए थे। उक्त राशि वादी द्वारा प्रतिवादी से बार-बार मांगने पर भी प्रतिवादी द्वारा वादी को नहीं दी गयी। प्रतिवादी कभी Covid का बहाना बनाता कभी पैसे न होने का, मगर कभी भी प्रतिवादी के द्वारा उक्त राशि वादी को नहीं लौटाई गई। वादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी को लीगल नोटिस भी दिया जाकर उक्त राशि की मांग की, लेकिन उक्त राशि के लिए प्रतिवादी ने न तो वादी से कोई संपर्क किया न ही वादी के अधिवक्ता से कोई संपर्क किया। अंत में वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किए जाने की प्रार्थना कीः-

i. वादी प्रतिवादी से 18% सालाना ब्याज के साथ अपनी चाहता है जो कि 4,87,900/- रूपये हैऔर इसके साथ मानसिक प्रताड़ना एवं अधिवक्ता खर्च जो कि 2,00,000/- है, कुल 6,87,900/- रूपये प्रतिवादी से वादी को दिलवाए जाए।

ii. प्रतिवादी के विरूद्ध बकाया मूल राशि व ब्याज राशि की डिक्री जारी की जाए।

3. हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी को जारी नोटिस की सम्यक् तामील के बावजूद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रतिवादी की अनुपस्थिति दर्ज की गई। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी उपस्थित नहीं हे और न ही उसकी ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ है। इसके बाद प्रतवादी को आदेश 37 नियम 3 के अंतर्गत निर्णय हेतु सम्मन जारी किए। सम्मन की प्रतिवादी पर सम्यक् रूप से तामील हो चुकी है। बावजूद तामील प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

4. बहस सुनी गई।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वाद में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए वादपत्र में वांछित अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना की।

6. दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत स्थिति है कवादी व प्रतिवादी की आपसी जान-पहचान होने पर प्रतिवादी को 3,40,000/- रूपये प्रतिवादी के ट्रकों के संचालन, उपकरण व टायर-ट्यूब बदलवाने हेतु उधार स्वरूप दिए थे और उक्त संव्यवहार के संबंध में एक इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था। इकरारनामा के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि उक्त इकरारनामे की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों में यह तय हुआ था कि प्रतिवादी द्वारा वादी से ली गई राशि 3,40,000/- रूपये की अदायगी 50,000/- रूपये की छः किश्तों में होगी तथा अंतिम किश्त 40,000/- रूपये की होगी। इस संबंध में प्रतिवादी ने उक्त उधार ली गई राशि के व्यतिक्रम पर वादी को अपने बैंक खाते का एक चैक अपने बैंक खात

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग जिला एवं सेशन न्यायालय
बीकानेर

Singh
24.10.2024
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
बीकानेर (राजस्थान)

संख्या 688600010002395 बैंक पंजाब नेशनल बैंक, श्रीकोलायत शाखा का चैक नं. 687714 का वादी को दिया था। प्रतिवादी द्वारा उक्त इकरारनामा की शर्तों के अनुसार वादी को उधार ली गई राशि नहीं लौटाने पर वादी ने यह हस्तगत वाद आदेश 37 नियम 1 सी पी सी के तहत प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश 37 सी पी सी का परिशीलन किया गया। आदेश 37 सी पी सी के अनुसार,

1. वे न्यायालय और वादों के वर्ग जिन्हें यह आदेश लागू होना है

(1) यह आदेश निम्नलिखित न्यायालयों को लागू होगा, अर्थात् --

(क) उच्च न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय और लघुवाद न्यायालय और

(ख) अन्य न्यायालय :

परन्तु उच्च न्यायालय खण्ड (ख) में निर्दिष्ट न्यायालयों के बारे में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आदेश के प्रवर्तन को वादों के केवल ऐसे प्रवर्गों तक निर्बन्धित कर सकेगा, जो वह उचित समझे और इस आदेश के प्रवर्तन के अधीन लाए जाने वाले वादों के प्रवर्गों की समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मामले की परिस्थितियों में यथा अपेक्षित और निर्बन्धित कर सकेगा, बढ़ा सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह आदेश निम्नलिखित वादों के वर्गों को लागू होता है, अर्थात् --

(क) विनिमय-पत्रों, हुण्डियों और बचन-पत्रों के आधार पर वाद;

(ख) ऐसे वाद जिनमें वादी, प्रतिवादी द्वारा संदेय ऋण या धन के रूप में परिनिर्धारित मांग को ब्याज सहित या ब्याज के बिना केवल वसूल करना चाहता है तो निम्नलिखित के आधार पर उद्भूत होता हैं, अर्थात्--

(i) लिखित संविदा; अथवा

(ii) ऐसी अधिनियमिति जिसमें वसूल की जाने वाली राशि कोई नियत धनराशि है या किसी शास्ति में भिन्न ऋणस्वरूप है, अथवा

(iii) ऐसी प्रत्याभूति जिसमें केवल किसी ऋण या परिनिर्धारित मांग के बारे में मूलधन के लिए दावा किया गया है।

(iv) प्राप्तव्य के किसी समनुदेशिती द्वारा संस्थित प्राप्तव्यों की वसूली के लिए कोई वाद।

2.संक्षिप्त वादों का संस्थित किया जाना (1) यदि वादी किसी ऐसे वाद को जिसे यह आदेश लागू होता है, इसके अधीन आगे चलाने की वांछा करता है तो वह वाद ऐसा वाद-पत्र उपस्थापित करके संस्थित किया जा सकेगा जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी, अर्थात् --

(क) इस आशय का विनिर्दिष्ट प्रकथन की बाद इस आदेश के अधीन फाइल किया जाता है,

(ख) ऐसे किसी अनुतोष का दावा वाद-पत्र में नहीं किया गया है जो इस नियम के विस्तार के अन्तर्गत नहीं आता हैं, और

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक प्रतिलिपिकार
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय
बीकानेर

24.10.2024
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2
बीकानेर (राजस्थान)

(ग) बाद के शीर्षक में बाद के संख्यांक के ठीक नीचे निम्नलिखित अन्तर्लेखन किया गया है, अर्थात् --

"(सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 37 के अधीन)"।

(2) वाद का समन परिशिष्ट ख के प्ररूप संख्या 4 में किसी ऐसे अन्य प्ररूप में होगा जो समय-समय पर विहित किया जावे।

(3) प्रतिवादी उपनियम (1) में निर्दिष्ट वाद की प्रतिरक्षा तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह उपसंजात नहीं होता है और उपसंजात होने में व्यतिक्रम होने पर वाद-पत्र के अभिकथन स्वीकृत कर लिए गए समझे जाएंगे और वाद विनिर्दिष्ट दर पर यदि कोई हो डिक्री की तारीख तक के ब्याज सहित किसी ऐसी राशि के लिए जो समन में वर्णित राशि से अधिक न हो खर्चे की ऐसी राशि के लिए जो उच्च न्यायालय उस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा समय-समय पर अवधारित करे, डिक्री पाने का हकदार होगा और ऐसी डिक्री निष्पादित की जा सकेगी।

3. प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए प्रक्रिया

(1) किसी ऐसे बाद में जिसे यह आदेश लागू होता है बादी प्रतिवादी पर चादपत्र और उसके उपबंधों की एक प्रति नियम 2 के अधीन समन के साथ तामील करेगा और प्रतिवादी ऐसी हामील के दस दिन के भीतर किसी भी समय स्वयं या पलीडर द्वारा उपसंजात हो सकेगा और दोनों दशाओं में वह उस पर सूचनाजों की तामील के लिए पता न्यायालय में फाइल करेगा।

(2) जब तक अन्यथा आदेश न दिया गया हो तब तक ऐसे सभी समन, सूचनाएँ और अन्य न्यायिक आदेशिकाएँ वो प्रतिवादी पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित हों उस पर सम्यक रूप से तामील की गई तब समझी जाएगी जब वे उस पते पर छोड़ दी गई हों जो ऐसी तामील के लिए उसके द्वारा दिया गया था।

(3) उपसंजात होने के दिन ऐसी उपसंजाति की सूचना प्रतिवादी द्वारा बादी के प्लीडर को या यदि बादी स्वयं बाद लाता है तो स्वयं बादी की, ऐसी सूचना परिदत करके या पहले से डाक महसूल दिए गए पत्र द्वारा यथास्थिति, बादी के प्लीडर के या बादी के पते पर भेजकर की जाएगी।

(4) यदि प्रतिवाद उपसंजात होता है तो उसके पश्चात् वादी प्रतिवादी पर निर्णय के लिए समन परिशिष्ट यख के प्रारूप 4-क में या ऐसे अन्य प्रारूप में जो समय-समय पर विहित किया जाए, तामील करेगा। ऐसा समन तामील की तारीख से दस दिन से अन्जून समय में वापस किए जाने वाला होगा और विसका समर्थन वाद-हेतुक और दावाकृत रकम का सत्यापन करने वाले शपथ पत्र द्वारा किया जाएगा और उसमें यह कथन किया होगा कि उसके विश्वास में बाद में निमित्त कोई प्रतिरक्षा नहीं है।

(5) प्रतिवादी निर्णय के लिए ऐसे समन की तामील से दस दिन के भीतर किसी भी समय शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा ऐसे तथ्य प्रकट करते हुए जो

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग जिला एवं सेशन न्यायालय
बीकानेर

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं.2 सत्यमेव जयते बीकानेर (राजस्थान)

Singh
24.10.2024
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
बीकानेर (राजस्थान)

प्रतिरक्षा करने के लिए उसे हकदार बनाने के लिए पर्याप्त समझे जाएँ, ऐसे बाद की प्रतिरक्षा की इजाजत के लिए समन के आधार पर आवेदन कर सकेगा और उसे प्रतिरक्षा करने की इजाजत बिना शर्त या ऐसे निवन्धनों पर को न्यायालय या न्यायाधीश को न्यायसंगत प्रतीत हों, मंजूर की जा सकेगी:

परन्तु प्रतिरक्षा की इजाजत तब तक नामंजूर नहीं की जाएगी जब तक न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रकट किए गए तथ्य यह उपदर्शित नहीं करते हैं कि उसके द्वारा कोई सारवान् प्रतिरक्षा की जानी है या प्रतिवादी द्वारा की जाने के लिए आशयित प्रतिरक्षा तुच्छ या तंग करने वाली है:

परन्तु यह और कि जहाँ बादी द्वारा दावाकृत रकम का कोई भाग प्रतिवादी द्वारा उससे शोध्य होना स्वीकार कर लिया जाता है तो वाद की प्रतिरक्षा की इजाजत तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक शोध्य होने के लिए इस प्रकार स्वीकार की गई रकम प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में जमा न कर दी जाए।

(6) निर्णय के लिए ऐसे समन की सुनवाई के समय

(क) यदि प्रतिवादी ने प्रतिरक्षा करने के इजाजत के लिए आवेदन नहीं किया है या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और नामंजूर कर दिया गया है तो वादी तत्काल निर्णय का हकदार हो जाएगा, अथवा

(ख) यदि प्रतिवादी को पूर्ण दावे या उसके किसी भाग की प्रतिरक्षा करने की अनुज्ञा दी जाती है तो न्यायालय या न्यायाधीश उसे निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी प्रतिभूति ऐसे समय के भीतर दे जो न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा नियत किया जाए, और न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी प्रतिभूति देने में या ऐसे अन्य निदेशों का पालन करने में जो न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिए गए हों असफल होने पर वादी तत्काल निर्णय का हकदार हो जाएगा।

(7) न्यायालय या न्यायाधीश प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर प्रतिवादी को उपसंजाव होने या बाद की प्रतिरक्षा करने की इजाजत के लिए आवेदन करने में विलंबन के लिए माफी दे सकेगा।

8. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 37 सी पी सी में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही प्रस्तुत किया है। इसके अलावा न्यायालय यहां यह वर्णित करना भी उल्लेखनीय समझता है कि प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा जारी नोटिसों की सम्यक रूप से तामील के बावजूद भी न तो स्वयं उपस्थित हुआ है और ना ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतविादी को आदेश 37 नियम 3 के अंतर्गत निर्णय हेतु सम्मन जारी किए। सम्मन की प्रतिवादी पर सम्यक् रूप से तामील हो चुकी है। बावजूद तामील प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। इसके अलावा आदेश 37 नियम 3 (6) (ख) के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रतिवादी ने प्रतिरक्षा करने के इजाजत के लिए आवेदन नहीं किया है या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और नामंजूर कर दिया गया है तो वादी

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग, जिला एवं सेशन न्यायालय
बीकानेर

24.10.2024
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
बीकानेर (राजस्थान)

तत्काल निर्णय का हकदार हो जाएगा। ऐसे में वादी के वादपत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष परीलक्षित नहीं होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं विधिक प्रावधानों के प्रकाश में वादी का वाद अंतर्गत आदेश 37 सी पी सी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किए जाने योग्य है।

-आदेश-

10. अतः वादी का वाद अंतर्गत आदेश 37 सी पी सी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादी प्रतिवादी से 3,40,000/-(अखरे तीन लाख चालीस हजार) रुपए की राशि तथा इस पर दावा दायरी की तारीख से ता वसूली 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

24.10.2024

(लोकेन्द्र सिंह शेखावत)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
बीकानेर (राजस्थान)

11. निर्णय आज दिनांक **24.10.2024** को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

24.10.2024

(लोकेन्द्र सिंह शेखावत)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2
बीकानेर (राजस्थान)

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रति-हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि विभाग जिला एवं सेशन न्यायालय
बीकानेर दिनांक 04/11/24

प्रमाणित प्रतिलिपि
नम्बर मुकदमा 122/22 व
नाम न्यायालय ADJ-02
डिक्री/निर्णय तारीख 24/10/24

डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–2, बीकानेर
व इजलास श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत, जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी वाद संख्या 22/2022
सीआईएस संख्या 122/2022
सीएनआर नम्बर RJBK01-002192-2022

सुनील जाजड़ा पुत्र अखेचंद, निवासी तोलियासर भैरूजी मंदिर के पास, चौपड़ा बाड़ी, गंगाशहर, बीकानेर।
--वादी

बनाम

पवन कुमार शर्मा पुत्र रामलाल, निवासी वार्ड नं.7 बीठनोक, तहसील श्रीकोलायत, जिला बीकानेर।
--प्रतिवादी

वाद बाबत वसूली 6,87,900/-रूपये अंतर्गत आदेश 37 नियम 1 सी पी सी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से श्री विनायक चितलंगी उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित। मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

''वादी का वाद अंतर्गत आदेश 37 सी पी सी विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादी प्रतिवादी से 3,40,000/- (अखरे तीन लाख चालीस हजार) रुपए की राशि तथा इस पर दावा दायरी की तारीख से ता वसूली 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।''

चीज ....X........... मुबलिक ....X........... बाबत ....X........... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....X............ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....X.......... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24 माह अक्टुबर वर्ष 2024** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
Singh 24.10.2024
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 2
ओहदा बीकानेर (राजस्थान)

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा	1	-	स्टाम्प वकालतनामा		-
स्टाम्प वकालतनामा	1	-	स्टाम्प अर्जी	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	महनताना वकील पर	-	-
महनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमिश्नर	-	-
फीस कमिशनर	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-
बाबत इजराय हुक्मनामा		-	मुतफर्रिक	-	-
मुतफर्रिक	96	-			-
मीजान/योग	98	-	मीजान/योग	-	-

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग जिला एवं सेशन न्यायालय
बीकानेर

नोट– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Singh 24.10.2024
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 2
बीकानेर (राजस्थान)